जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
130/2016

A3
1

अपील सूचना अधिकार संख्या 130/2016 अनवानी श्री बलदेवराज पुत्र श्री गुरदास राम जाति रामदासिया साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ बनाम जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23–11–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बलदेवराज़ उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारीगण के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बलदेव राज द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2016 के द्वारा डी.आर.ओ. एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

> दस्तावेज
> मिसल न0 एआई/एससी/जीएन/999/60 दिनांक 17.03.1960
> 1. सम्पूर्ण फाईल की नकल, आवटंन आदेश नकल आवटंन आदेश निरस्त एवं बहाली आदेश की नकल रकवे की किश्ते जमा करने के आदेश आदि। सम्पूर्ण मिसल की नकल
> अनवान सौदागर सिंह पुत्र कर्मसिंह जाति रायसिख सा0 34 एस.टी.जी.

अपीलार्थी श्री बलदेवराज़ द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2016 द्वारा चाही गई सूचना चारो अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है प्रत्येक अप्रार्थी पर 25,000रूपये जुर्माना लगाकर दंड की राशी उसे दिलवाई जावे एवंम चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार एवंम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने पत्र सं0 171 दिनांक 01.09.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी श्री बलदेवराज द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 18.07.2016 को प्राप्त हुआ था और दिनांक 05.08.2016 को प्रार्थी को अवगत करवा दिया गया था कि सम्बन्धित रिकार्ड प्रबन्धन अधिकारी एवंम जिला पुर्नवास अधिकारी एसडीएम हनुमानगढ से सम्बन्धित है। इसलिए वाछिंत नकल वहां से प्राप्त कर सकते है।

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (एसडीएम) सूरतगढ़ के पत्र सं0 144–46 दिनांक 05.08.2016 से प्रबन्ध अधिकारी एवंम जिला पुर्नवास अधिकारी (एसडीएम) हनुमानगढ को निम्नानुसार लिखा जाकर अपीलार्थी को भी सूचित किया गया है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी श्री बलदेवराज पुत्र गुरदासराम जाति रामदासिया निवासी बडोपल तहसील पीलीबंगा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.16 संबधी सूचना आपके क्षेत्राधिकार एवं कार्यालय से संबन्धित होने के कारण नियमानुसार अंतरित किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाते हुए शाखा प्रभारी सूचना का अधिकारी प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर को सूचित करने का श्रम करे।

कलैक्टर
गानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
130/2016

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने भी अपना पत्र सं0 1704 दिनांक 01.09.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा वाछिंत सूचना जिला कार्यालय हनुमानगढ से सम्बन्धित होने के कारण उनके कार्यालय पत्रांक 1067–68 दिनांक 03.08.2016 द्वारा प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ को भिजवा दिया गया था जिसकी प्रति प्रार्थी को भी दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवंम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्र सं0 1067–68 दिनांक 03.08.2016 से जिला कलक्टर, हनुमानगढ को निम्नानुसार लिखा जाकर अपीलार्थी को भी सूचित किया गया है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय से संबधित है, जो धारा 6(3) के अन्तर्गत मूल ही इस पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाया जा रहा है। समयावधि में निस्तारित कर सीधे ही आवेदक को सूचना उपलब्ध करवायें। यदि वांछित सूचना आपके विभाग से संबधित नही है तो प्रार्थना पत्र सीधे ही संबंधित विभाग को भिजवाकर आवेदक को सूचित करे। जिला हनुमानगढ से सम्बन्धित पुनर्वास सम्बन्धी समस्त रिकॉर्ड वर्ष 1994 में आपके कार्यालय के लिपिक श्री देवीलाल के साथ भिजवाया जा चुका है। आवेदक द्वारा प्रास्तुत पी0ओ0 नं0 34एफ 983319 रूपये 10/– इस पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **चूंकि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर व सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित कर दिया गया था कि उसके द्वारा चाही गई सूचनांओ का संबंध जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ से है। अतः अपीलार्थी को जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ में ही सूचनाओं के संबंध में चाराजोही करनी चाहिए। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर व सूरतगढ़ को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर